142

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2016 पुर्नविलोकन

1. शशि बाई बेबा हरी सिंह
2. शुभम
3. लकी पुत्रगण हरी सिंह नावालिग सरपरस्त माता शशि बाई
4. नेहा
5. शिवानी पुत्रियां हरी सिंह नावालिग सरपरस्त माता शशिबाई
6. बल्लो बाई पुत्री खूब सिंह अहिरवार

समस्त निवासीगण – तिरंगा चौराहा बासौदा जिला विदिशा म.प्र.

.... आवेदकगणं

बनाम

1. खेमचन्द्र पुत्र श्री मूलचन्द्र
2. खिलान सिंह पुत्र श्री मूलचन्द्र
3. चरण सिंह पुत्र श्री मूलचन्द्र
4. गोविन्द सिंह पुत्र श्री मूलचन्द्र
5. लाखन सिंह पुत्र श्री मूलचन्द्र मृत वारिसान

ए– राजबाई बेबा पत्नी श्री लाखन सिंह

बी– राजेन्द्र, सी – पूजा डी – रोशनी

ई– रवीन्द्र , एफ – विक्की सभी पुत्र एवं पुत्री पिता श्री लाखन सिंह नावालिग द्वारा सरपरस्त मॉ राजबाई पत्नी श्री लाखन सिंह

6. केशरबाई पुत्री मूलचन्द्र मृत वारिसान

रिव्यू- 2016 E/11

ए– जुगल पुत्र भगवानदास

बी– पवन पुत्र भगवानदास

सी– अरविन्द पुत्र भगवानदास

डी – जूली पुत्री भगवानदास

7. फूल्लो बाई पुत्री मूलचन्द्र

8. प्रेमबाई पुत्री मूलचन्द्र

9. कोमल बाई पुत्री मूलचन्द्र

10. राजबाई पुत्री मूलचन्द्र

निवासीगण तिरंगा चौराहा बासौदा जिला विदिशा म.प्र.

..... अनावेदकगण

पुर्नविलोकन आवेदन पत्र धारा 51 म.प्र. भू राजस्व संहिता न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 533/ 11/2015 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19.05. 2016 के विरूद्व पुर्नविलोकन

श्रीमानजी,

आवेदकगण की ओर से पुर्नविलोकन आवेदन निम्न तथ्यों एवं आधारों पर निम्न प्रकारर प्रस्तुत है :–

1. यहकि, माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्व एवं अभिलेख के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

2. यहकि, उक्त भूमि के भूमि स्वामी मुलुआ उर्फ मूलचन्द्र थे जिनके पास भूमि स्थित ग्राम नसीदरपुर तहसील बासौदा जिला विदिशा में खसरा क्रमांक 27/1 रकवा 0.087 हे. सर्वे क्रमांक 32/ 2 रकवा 1.069 हे. सर्वे क्रमांक 44 रकवा 1.724 हे. कुल किता 3 कल रकवा 2.877हे. भूमि थी मूलचन्द्र के 10 बच्चे थे 6 लडके थे 4 लडकियां थी । अनावेदिका क्रमांक 7 फुल्लोबाई पुत्री हरजू थी जो

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – रिव्यू 2016–एक/16 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–1–17	प्रकरण का अवलोकन किया। यह पुनरावलोकन आवेदन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 533–दो/15 में पारित आदेश दिनांक 19–5–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत पेश किया गया है । 2/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गई है । अनावेदक प्रकरण में एकपक्षीय हैं । 3/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण बटवारे का है । अभिलेख के अवलोकन से यह पाया जाता है कि तहसील न्यायालय द्वारा बटवारा आदेश पारित करने के पूर्व आवेदकों अपना हिस्सा अवश्य दिया गया है परंतु आदेश पारित करने के पूर्व उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया है, मूल प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि उक्त बिंदु पर इस न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय विचार नहीं हो सका है । इस कारण आलोच्य आदेश का पुनरावलोकन किया जाना आवश्यक है । आवेदकों की ओर से जो अन्य आधार पुनरावलोकन में दिए गए हैं उन पर विचार करने के उपरांत यह पाया जाता है कि आलोच्य आदेश के पुनरावलोकन हेतु पर्याप्त आधार हैं । अतः आवेदकों की ओर से प्रस्तुत यह पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 533–दो/15 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 19–5–16 वापिस लिया जाकर उक्त निगरानी प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु नियत किये जाने के आदेश दिए जाते हैं । पक्षकार सूचित हों । सदस्य	